न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 20 / 2019	2019 / 00590	01.10.2019	10.05.2022

—उनवान—

1. श्रीमति कमलेश पुत्री प्यारेलाल धर्मपत्नी अर्जुन सिंह जाति जाटव निवासी काश्तकार भूगोर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी हादरहेड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलान्टा

बनाम

1. नारायण पुत्र प्यारेलाल जाति जाटव निवासी काश्तकार भूगोर तहसील व जिला अलवर राज0।
2. श्रीमति चन्द्री पत्नी प्यारेलाल जाति जाटव निवासी काश्तकार भूगोर तहसील व जिला अलवर राज0।
3. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर राज0।

रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 06.07.2017 विरासत नामान्तकरण संख्या 1399 ग्राम भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलान्टा

—:: निर्णय ::—

अपीलान्टा ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 06.07.2017 जिसके द्वारा विरासत नामान्तकरण संख्या 1399 ग्राम भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर जिसके द्वारा मिन अपीलांटा का नाम सावित्री दर्ज करके मृतक प्यारेलाल के हिस्से का गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटा कमलेश के पिता प्यारेलाल व रैस्पो0 सं0 1 नारायण के पिता प्यारेलाल व रैस्पो0 सं0 2 चन्द्री के पति प्यारेलाल के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम भूगोर में स्थित है। जिस आराजी में प्यारेलाल का हिस्सा है। अपीलांटा अपने पिता के जीवन काल में उक्त आराजी पर काबिज व दाखिल हुई तथा काश्त करती चली आ रही है। मिन अपीलांटा के पिता का स्वर्गवास होने पर इंतकाल संख्या 1399 मिन अपीलांटा व रैस्पो0 के नाम दर्ज हुआ जिसमें मिन अपीलांटा का नाम रैस्पो0 सं0 1 व 2 के द्वारा सावित्री दर्ज करा दिया गया। जो गलत है। जिसकी जानकारी अपीलांटा को दिनांक 03.07.2018 को हुई। नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गयी है। देरी के लिए पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया गया है। वास्तविकता यह है कि प्यारेलाल का स्वर्गवास होने पर अपीलाधीन इंतकाल गलत तरीके से सावित्री व रैस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हो गया। जिसका रैस्पो0 1 व 2 को बखूबी इल्म था कि मिन अपीलांटा का नाम कमलेश है। मृतक प्यारेलाल की सावित्री नाम की कोई लड़की नहीं है। कमलेश एक मात्र लड़की है जो स्वंय अपीलांटा है। रैस्पो0 सं0 1 व 2 के कहने से मिन अपीलांटा का नाम कमलेश के स्थान पर सावित्री दर्ज किया गया है। मिन अपीलांटा का नाम कमलेश है। कमलेश के नाम से मिन अपीलांटा के पास परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड आदि दस्तावेज है।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अलवर, जिला अलवर का आदेश दिनांक 06.07.2017 निरस्त फरमाई जाकर विवादित विरासत इंतकाल संख्या 1399 वाके

ग्राम भूगोर तहसील अलवर में मिन अपीलांटा का नाम सावित्री के स्थान पर कमलेश दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 09.07.2018 को लगभग 1 वर्ष बाद पेश की गयी है। यद्यपि विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। फिर भी अपीलांट द्वारा अपील के साथ पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में मुख्य तर्क यह उठाया है कि रैस्पो0 सं0 1 व 2 द्वारा गलत तरीके से अपीलांटा का नाम कमलेश के स्थान पर सावित्री दर्ज किया गया है। जिसे दुरूस्त किया जावें। पत्रावली पर पेश सरपंच ग्राम पंचायत भूगोर का लेटर पैड दिनांक 02.02.2020, तहसीलदार अलवर द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र दिनांक 22.09.2020, तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र दिनांक 07.08.2020 का अवलोकन किया। जिनमें अपीलांटा का नाम कमलेश उर्फ सावित्री व कमलेश दर्ज है। उक्त पेश दस्तावेजात् के आधार पर अपील अपीलांटा आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटा आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटा द्वारा पेश सरपंच ग्राम पंचायत भूगोर का लेटर पैड दिनांक 02.02.2020, तहसीलदार अलवर द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र दिनांक 22.09.2020, तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र दिनांक 07.08.2020 का पूर्ण अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/5/22

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर